वशि्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की अपील

प्रलिमि्स के लयि:

डब्ल्यूटीओ, गन्ना, सब्सडिी और काउंटरवेलगि उपायों पर डब्ल्यूटीओ का समझौता, कृषि पर डब्ल्यूटीओ का समझौता, व्यापार और टैरफि पर सामान्य समझौता।

मेन्स के लयि:

वशि्व व्यापार संगठन और इसकी भूमकिा, वशि्व व्यापार संगठन में चीनी सब्सडिी का मुद्दा, चीनी उद्योग में सब्सडिी का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने वशि्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation's- WTO) के व्यापार ववािद नपिटान पैनल के एक नर्िणय के खलिाफ अपील की है नर्िणय दयिा गया, जसिमें कहा गया कि चीनी और गन्ने के लयि देश के घरेलू समर्थन उपाय वैश्वकि व्यापार मानदंडों के अनुसार नहीं है।

- इससे पूर्व वशि्व व्यापार संगठन द्वारा चीन को 'वकिासशील देश' का दर्ज़ा दयिा गया था, WTO के इस नर्िणय पर कई देशों द्वारा चति व्यक्त करते हुए आपतदि दर्ज की गई, साथ ही यह एक ववािदास्पद मुद्दा बन गया था।

प्रमुख बदिु

- **भारत की अपील:**
  - भारत द्वारा वशि्व व्यापार संगठन के अपीलीय नकिाय में अपील दायर की गई थी, जो इस प्रकार के व्यापार ववािदों पर अंतमि प्राधकिरण है।
  - पैनल की रपिोर्ट में नहिति कुछ "कानून की त्रुटयिों या कानूनी व्याख्या के संबंध में भारत ने अपील की है एवं नकिाय से "पैनल के नषि्कर्षों, नर्िणयों और सफिारशिों को उलटने, संशोधति करने या ववािदास्पद एवं बनिा कसिी कानूनी प्रभाव के" घोषति करने का अनुरोध कयिा है।
  - भारत ने पैनल के नषि्कर्षों की समीक्षा की मांग की है कि चीनी मलिों को वपिणन लागत पर खर्च के लयि सहायता प्रदान करने की योजना, जसिमें हैंडलगि, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं आंतरकि परविहन की लागत व अधकितम स्वीकार्य नर्यात मात्रा योजना (Maximum Admissible Export Quantity- MAEQ) की शर्तों के संदर्भ में वर्ष 2019-20 के लयि चीनी के नर्यात पर माल ढुलाई शुल्क शामलि हैं।
- **भारत के खलिाफ शकियत:**
  - ऑस्ट्रेलयिा, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला का मानना है कि भारत के घरेलू समर्थन और नर्यात सब्सडिी के उपाय कृषि पर डब्ल्यूटीओ के समझौते और सब्सडिी एवं काउंटरवेलगि मानकों (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures-SCM) पर समझौते व प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Trade and Tariffs-GATT) के अनुच्छेद XVI के वभिनि्न प्रावधानों के साथ असंगत प्रतीत होते हैं।
  - तीनों देशों ने शकियत की है कि भारत गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन प्रदान करता है जो गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के न्यूनतम स्तर से अधकि है तथा कृषि पर हुए समझौते के असंगत था।
  - उन्होंने भारत की कथति नर्यात सब्सडिी, उत्पादन सहायता और बफर स्टॉक योजनाओं और वपिणन एवं परविहन योजना के तहत सब्सडिी का मुद्दा भी उठाया।
  - **ऑस्ट्रेलयिा ने भारत पर वर्ष 1995-96 के बाद गन्ने और चीनी के लयि अपने वार्षकि घरेलू समर्थन तथा वर्ष 2009-10 के बाद से अपनी नर्यात सब्सडिी को अधसिूचति करने में "वफिल"** होने का आरोप लगाया, जो कि एससीएम (SCM) समझौते के प्रावधानों के साथ असंगत था।
  - मामले को देखने और अपनी रपिोर्ट की जाँच के लयि डब्ल्यूटीओ के ववािद नपिटान नकिाय (**Dispute Settlement Body -DSB)** द्वारा एक पैनल का गठन कयिा गया था।

सब्सडिी और काउंटरवेलगि उपायों पर वशि्व व्यापार संगठन का समझौता

- एससीएम पर डब्ल्यूटीओ समझौता सब्सिडी के उपयोग को अनुशासित करता है और यह उन कार्यों को नियंत्रित करता है जो देश सब्सिडी के प्रभावों का मुकाबला करने के लिये कर सकते हैं।
- समझौते के तहत कोई देश डब्ल्यूटीओ की विवाद-निपटान प्रक्रिया का उपयोग सब्सिडी को वापस लेने या इसके प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिये कर सकता है या देश अपनी जाँच शुरू कर सकता है तथा अंततः सब्सिडी वाले आयातों पर अतिरिक्त शुल्क ("काउंटरवेलिंग ड्यूटी") लगा सकता है जो कि घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।

कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता

- इसका उद्देश्य **व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाज़ार पहुँच तथा वैश्विक बाज़ारों के एकीकरण** को बढ़ावा देना है।
- **विश्व व्यापार संगठन की कृषि समिति**, समझौते के कार्यान्वयन की देखरेख करती है और सदस्यों को संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये एक मंच प्रदान करती है।

शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता

- GATT की उत्पत्ति वर्ष 1944 के **ब्रेटन वुड्स सम्मेलन** में हुई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली की नींव रखी और दो प्रमुख संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) तथा विश्व बैंक की स्थापना की।
- वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित GATT के रूप में एक समझौता 1 जनवरी, 1948 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू हुआ:
  - आयात कोटा के उपयोग को समाप्त करना।
  - वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार पर शुल्क को कम करने करना।
- GATT 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला **एकमात्र बहुपक्षीय साधन (संस्था नहीं) बन गया जब तक कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना** नहीं हुई।
  - GATT 1947 को समाप्त कर दिया गया और WTO ने GATT 1994 के रूप में इसके प्रावधानों को संरक्षित रखा तथा माल का व्यापार संचालन जारी रखा।
  - उरुग्वे राउंड वर्ष 1987 से वर्ष 1994 तक आयोजित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप मारकेश समझौता हुआ, इसने विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की।

- **भारत का रुख:**
  - भारत ने कहा कि **"शिकायतकर्त्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं"** कि गन्ने और इसकी विभिन्न योजनाओं के लिये भारत का बाज़ार मूल्य समर्थन कृषि पर समझौते का उल्लंघन करता है।
  - इसने यह भी तर्क दिया कि 'आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 3 की आवश्यकताएँ अभी तक भारत पर लागू नहीं हैं और भारत में आपूर्ति शृंखला प्रबंधन समझौते के अनुच्छेद 27 के अनुसार निर्यात सब्सिडी, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिये 8 वर्ष की चरणबद्ध अवधि है।
- **पैनल के निष्कर्ष:**
  - विवाद निपटान पैनल ने चीनी क्षेत्र में भारत के घरेलू समर्थन और निर्यात सब्सिडी उपायों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन माना है।
  - पैनल ने पाया कि वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक लगातार पाँच चीनी मौसमों के लिये भारत ने गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के 10% के अनुमत स्तर से अधिक गैर-छूट उत्पाद-विशिष्ट घरेलू समर्थन प्रदान किया।
    - भारत ने तर्क दिया कि इसकी "अनिवार्य न्यूनतम कीमतों का भुगतान केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नहीं बल्कि चीनी मिलों द्वारा किया जाता है इसलिये यह बाज़ार मूल्य समर्थन का गठन नहीं करता है", हालाँकि पैनल ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि 'बाज़ार मूल्य समर्थन के लिये सरकारों को खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं होती।'
- **पैनल की सिफारिशें:**
  - भारत को अपने विश्व व्यापार संगठन के नियमों असंगत उपायों को कृषि समझौते और SCM समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप लाना चाहिये।
  - भारत को 120 दिनों के भीतर उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक और विपणन एवं परिवहन योजनाओं के तहत अपनी कथित सब्सिडी वापस लेनी चाहिये।

विश्व व्यापार संगठन में विवाद निवारण:

- विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य जिनेवा स्थित बहुपक्षीय निकाय में मामला दर्ज कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है कि किसी सदस्य देश का कोई विशेष व्यापार उपाय या नीति विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के खिलाफ है।
- किसी विवाद को सुलझाने के लिये द्विपक्षीय परामर्श पहला कदम है। यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो एक विवाद निपटान पैनल की स्थापना की जा सकती है।
- पैनल के फैसले या रिपोर्ट को विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय में चुनौती दी जा सकती है।
  - दिलचस्प बात यह है कि इस निकाय में सदस्यों की नियुक्ति के लिये सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय काम नहीं कर पा रहा है। अपीलीय निकाय के पास पहले से ही 20 से अधिक विवाद लंबित हैं। अमेरिका सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाता रहा है।

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-appeal-at-wto